न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 54 / 2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 कुरड़ाराम पुत्र रामूराम उम्र वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर जरिए मुख्तयार हंसराज पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 नथाराम पुत्र चूनाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2 हरदयाल पुत्र नारायण राम।
3 जगदीश पुत्र नारायण राम।
4 देबुराम पुत्र चिमनाराम।
5 बीरबल पुत्र चिमनाराम।
6 जगुराम पुत्र चिमनाराम।
7 बनवारी पुत्र रामेश्वर।
8 शिशपाल पुत्र रामेश्वर।
9 रामेश्वर पुत्र पन्नाराम।
10 रामकुमार पुत्र नारायण राम समस्त जाति जाट निवासीगण हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
11 पटवारी हल्का ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

12 तहसीलदार फतेहपुर प्रतिनिधि लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार।
13 कुरड़ाराम पुत्र चुनाराम।
14 लालूराम पुत्र चुनाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी फतेहपुर पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेनू मीणा
आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 116/17 बउनवानी नथाराम
बनाम कुरड़ाराम आदि दिनांक 12.06.2018

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 15-1-19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 116/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट नथाराम ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 488,489,491 वाके ग्राम बीबीपुर बड़ा में से रास्ते की मांगकी। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर वांछित रास्ता दे दिया है। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 कुरड़ाराम की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 489 में से कभी रास्ता नही रहा है मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नही की गई है अपीलांट को आपत्ति का अवसर नही दिया गया। वैकल्पिक रास्ते की कोई रिपोर्ट नही ली गई विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251ए में समरी प्रोसिंडिंग होती है आत्यन्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का बिन्दु देखा जाता है मौके पर वांछित रास्ते के अलावा कोई रास्ता नही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पूर्ण अवसर दिया गया है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया मौका रिपोर्ट आई.एल.आर द्वारा तैयार की गई है धारा 251ए के प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट आईएलआर अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट आईएलआर ने तैयार की है अत यह आक्षेप चलने योग्य नही है जहां तक अपीलांट को सुनवाई/आपत्ति का अवसर दिये जाने का प्रश्न है अपीलांट की और से विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये वकालत नामा उपस्थिति हुई है दिनांक 16.04.2018 को अपीलांट की और से जवाब प्रस्तुत किया गया है अत अपीलांट का यह कथन भी साबित नही है कि उसे आपत्ति का अवसर नही दिया गया। अपीलांट ने मौके पर वैकल्पिक रास्ता होने का भी कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय अथवा अपील के स्तर पर प्रस्तुत नही किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में समरी प्रोसिंडिंग होती है विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

15.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर